रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226815 CG-DL-E-01052021-226815

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 2021/वैशाख 11, 1943

No. 246]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 2021/VAISAKHA 11, 1943

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 मई. 2021

## सं. 08/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 304(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.िन. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र. सं. 3 के बाद अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् --

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021

2445 GI/2021 (1)

5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 13/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.िन. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 51/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.िन. 404(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

#### No. 08/2021- Central Tax

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2017 – Central Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:–

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees	9 per cent for the first	March, 2021,
	5 crores in the preceding financial year	15 days from the due	April, 2021
		date and 18 per cent	
		thereafter	

5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18<sup>th</sup> day of April, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST] RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:** The principal notification number 13/2017 – Central Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended *vide* notification number 51/2020 – Central Tax, dated the 24<sup>th</sup> June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 404(E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2020.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

#### सं. 09/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 305(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018, जिसे सा.का.िन. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के सातवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातु: -

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए है, जो प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे है, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात्—

#### तालिका

क्र. सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
			(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल	मार्च 2021 और अप्रैल	विवरणी प्रस्तुत करने के
	आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	2021	नियत तारीख से पहले पंद्रह
			दिन तक